

high rise high density vis-a-vis that of low rise high density. Minimum basic civic facilities are being provided by Government of NCT of Delhi under the Plan scheme of Environmental Improvement of Urban Slums.

उत्तर प्रदेश में शहरों का विकास

606. श्री ईश दत्त यादव: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु प्रेषित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के अंतर्गत विकसित किये जाने वाले शहरों के नामों और उनके विकास की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन योजनाओं पर कब तक निर्णय लिया जायेगा और निर्णय लेने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामण): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार को छोटे व मझोले कस्बों के सम्बन्धित विकास की स्कीम के तहत आने वाले कस्बों/शहरों में विकास परियोजनाएँ शुरू करने के लिए सहायता दी गई है। इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं में मास्टर प्लान, सड़कों, स्थलों और सेवाओं को मजबूत करना, बस/ट्रक टर्मिनलों का विकास, कचरा निपटान व्यवस्था, नागरिक/कस्बा पार्कों का विकास/मास्टर प्लान मड़कों के लिए पथ प्रकाश व्यवस्था व अन्य जन-सुविधाएँ/यातायात सुधार व प्रवर्धन सेवाएँ आदि शामिल हैं। विकास के लिए प्रस्तावित शहरों/कस्बों के नाम, सम्भावित परियोजना लागत तथा जारी केन्द्रीय राशि विवरण में दी गई है (नीचे देखिये) छोटे व मझोले कस्बों के सम्बन्धित विकास की मंजूरी समिति की 25.2.97 को हुई बैठक में कुछ अतिरिक्त कस्बों के प्रस्तावों पर विचार हुआ था और वे प्रस्ताव, भारत सरकार के पास केन्द्रीय सहायता के लिए प्राप्त हुए थे। लेकिन पर्याप्त बजट के अभाव में इन कस्बों के लिए धन नहीं दिया जा सका। चालू वर्ष में इन अतिरिक्त कस्बों को केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम में शामिल करना उत्तर प्रदेश में चालू परियोजनाओं वाले कस्बों द्वारा धन की जरूरत तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपयोग

प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा। जब तक उ०प्र० सरकार चालू परियोजनाओं के लिए अपेक्षित धनराशि की सूचना नहीं देती तब तक यह बताना संभव नहीं है कि अतिरिक्त कस्बों के लिए केन्द्रीय सहायता की मंजूरी के बारे में कब तक फैसला कर लिया जाएगा। अगर चालू परियोजनाओं के लिए धन की जरूरत इस राज्य के लिए नियत धनराशि अधिक है, तो अतिरिक्त कस्बों को केन्द्रीय सहायता में शामिल करना संभव नहीं होगा।

विवरण

(लाख रूपये)

वर्ष	कस्बे	नियत प्रदत्त राशि	राशि
1994-95	बस्ती	498.20	40.00
	फरीदाबाद	366.13	33.00
	बडौत	300.00	36.00
	रामपुर	392.20	35.00
	बुढ़ाना	192.00	15.00
1995-96	अकबरपुर	204.10	30.00
	फरुखाबाद	283.27	27.00
	टांडा	179.19	27.00
	गोला गोरखनाथ	334.13	30.00
	खलीलाबाद	166.46	25.00
	अतरौला	186.29	28.00
	हरिद्वार	670.94	70.00
	मुगदनगर	218.27	30.00
	दादरी	172.75	26.00
	लोनी	190.30	30.00
1996-97	मुगदाबाद	766.27	90.00
	विलसी	118.56	16.00
	मगहर	88.52	11.00
	वांसी	174.47	30.00
	फर्रूद	108.90	16.00
	फतियाकली	113.07	18.00
	मलीहाबाद	85.63	13.00
	सहारनपुर	688.92	82.00
	फैजाबाद	337.47	45.00
	मानकपुर	110.86	16.00
बरहतरागंज	85.69	14.00	
टूडला	95.88	15.00	
अयोध्या	226.00	19.00	